भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 30 आर ई - 2010) /2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च, 2011

विषयः- प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अधिसूचना संख्या 24 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 18.02.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं0 29 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 01.03.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है । यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. अधिसूचना संख्या 24 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 18.02.2011 की क्रम सं0 44.01 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना सं0 29 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 01.03.2011 के पैरा 2 में आने वाले वाक्यांश ''प्रति मीट्रिक टन 450 अमरीकी डॉलर का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय - समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित'' को वाक्यांश ''पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 350 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :
बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज के अलावा प्याजों का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 350 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन होगा। यह 01.03.2011 को यथाअधिसूचित 450 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था।

**(अनुप के0 पूजारी)**
**महानिदेशक विदेश व्यापार**
**ई मेल :- dgft@nic.in**

**( फा0सं0 01/91/180/922/ए एम 08/पीसी 3/एक्सपोर्ट सेल से जारी)**